

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 45 OF 2025

IN THE MATTER OF:

GAURAV AGGARWAL

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1.	Affidavit of Compliance on behalf of Respondent No.4	1 – 8
2.	ANNEXURE R-1: Copy of the minutes of the meeting dated 09.05.2024	9 – 11
3.	ANNEXURE R-2: Copy of the minutes dated 24.08.2024	12 – 15
4.	ANNEXURE R-3: Copy of Letter dated 26.09.2024	16
5.	ANNEXURE R-4: Copy of Letter dated 16.11.2024 addressed to M/s Naturegreen Tools & Machines Pvt. Ltd.	17
6.	ANNEXURE R-5: Copy of Letter dated 11.12.2024	18
7.	ANNEXURE R-6: Copy of Letter dated 28.04.2025	19
8.	ANNEXURE R-7 (COLLY): Copy of photographs dated 08.09.2025 of Locations No. 6, 7, 8, 11, 12, 14 and 16	20 – 25

THROUGH:



MALAK BHATT

ADVOCATE FOR RESPONDENT NO. 4

C-2, 2ND FLOOR, NIZAMUDDIN EAST,

NEW DELHI-110013

M: +91-9650592002

E: malak@malakbhatt.com

DATE: 07.10.2025

PLACE: NEW DELHI

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 45 OF 2025

IN THE MATTER OF:

GAURAV AGGARWAL

...APPLICANT

VERSUS


STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT OF COMPLIANCE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4


I, Dr. Mithlesh Kumar, S/o Shri Bhushan Singh aged about 48 years, presently holding the position of City Health Officer, Ghaziabad Municipal Corporation, having my office at Navyug Market, Ghaziabad-201002, presently in New Delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the deponent herein and am well acquainted with the facts and circumstances of the present case and am competent to swear this affidavit on behalf of Respondent No. 4.
2. That this affidavit is in compliance of the Order dated 09.09.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, whereby the Respondent No. 4 was directed to file a status report with respect to solid waste management arrangements in the Indirapuram area.
3. I state that the Applicant has raised a grievance about improper solid waste management within the limits of the municipal area of Indirapuram. The applicant complains that the Indirapuram area has become a dumping ground for municipal solid waste, the sides of the roads are being encroached upon, and wastewater regularly flows on the road and into the stormwater drain. The applicant has also alleged that the Municipal




Corporation has failed to implement the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 (“SWM Rules, 2016”).

4. At the outset, the Indirapuram Scheme was initially under the control of Ghaziabad Development Authority (“GDA”) which was providing all municipal facilities such as roads, drainage, sewer, water supply, solid waste management and parks.
5. Thereafter, a decision was taken to transfer the said Indirapuram Scheme to the Respondent No. 4 i.e., Ghaziabad Municipal Corporation (“GMC”). In furtherance thereof, a meeting of the committee constituted for this purpose was held on 09.05.2024 under the chairmanship of Secretary, GDA, which was attended by officials of both GDA and GMC. It is submitted that detailed deliberations were held with respect to roads, drainage, sewer, drinking water, solid waste management, street lighting, and parks. Consequently, directions were issued for carrying out surveys, on-site photography and videography and for preparing a report of the facilities. A copy of the minutes of the meeting dated 09.05.2024 is annexed herewith as **Annexure R-1**.
6. That subsequently, on 24.08.2024, a meeting was convened in the office of the Vice Chairman, GDA, attended by the Municipal Commissioner, GMC and other officers, wherein a detailed gap analysis report of municipal services was prepared and duly signed by all departmental officers. The minutes of the meeting were approved by the Divisional Commissioner, Meerut. A copy of the minutes dated 24.08.2024 is annexed herewith as **Annexure R-2**.
7. That in the aforesaid minutes, it was specifically recorded that for proper and scientific solid waste management in Indirapuram, (a) an area of 4000



square metres was required for a Garbage Transfer Station, and (b) an area of 4500 square metres was required for a Material Recovery Facility (“said Land”). It was agreed that GDA would hand over the required land within six months. It is further submitted that during the said meeting, GDA agreed to transfer a total sum of Rs. 185 Crores to the Respondent No. 4, for the development of the Indirapuram area. The transfer was structured in a phased manner, with an initial lump sum of Rs. 70 Crores to be provided at the commencement of the handover process, followed by Rs. 40 Crores by 31st December 2024, Rs. 40 Crores by 31st March 2025, and the remaining Rs. 35 Crores by 1st July 2025. The process of transfer was to be considered effective from the date the initial lump sum of Rs. 70 Crores was received.

8. In pursuance thereof, the Respondent No. 4, vide letter dated 26.09.2024, approached GDA to transfer the said land as agreed in the handover minutes of 24.08.2024, to enable effective collection, segregation, and disposal of solid waste in the Indirapuram area. Copy of Letter dated 26.09.2024 is annexed herewith as **Annexure R-3**.
9. It is imperative to point out at this juncture that on 06.09.2024, the Divisional Commissioner completed the process of transfer of ‘Indirapuram Scheme’ to the Respondent No. 4. It was decided that until the new infrastructure was set up, the responsibility of solid waste management would continue to remain with the GDA through its contractor, M/s Naturegreen Tools & Machines Pvt. Ltd., for a maximum period of six months. However, on 07.01.2025, before the expiry of the six-month period, the said agency engaged by GDA abruptly stopped its work. This created a sudden sanitation crisis in Indirapuram. In order to prevent any hardship to the residents, the Respondent No. 4 immediately




took over the responsibility and deployed its own manpower and machinery to ensure collection, transportation and disposal of waste, as well as cleaning of central verges, side-tracks and drains.


10. That after assuming responsibility, GMC conducted a baseline survey of the Indirapuram area through its Chief Sanitation and Food Inspector along with the Swachh Bharat Mission team, in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016. The survey revealed that Indirapuram comprises approximately 93,462 households, 101 high-rise societies, 2,475 commercial establishments and about 749 permanent and temporary carts and footpath vendors. It was found that due to lack of formal facilities, segregation and transportation of waste was being carried out informally by ragpickers and cart vendors, leading to the formation of several garbage vulnerable points across different wards.
11. That further field inspections carried out by the officers of Respondent No. 4 revealed large accumulations of garbage at several prominent locations including the stretch between Hindon Canal culvert and Kanawani culvert, the link road behind Shipra Mall, and near World Residency. On investigation, it was found that the said agency engaged by GDA had failed to collect nearly 1440 carts of garbage amounting to approximately 17,228 metric tonnes. Consequently, GMC vide Letter dated 16.11.2024 to the said agency, with a copy to the Vice Chairman and Secretary of GDA, highlighting its failure. As the agency failed to take remedial measures, GMC undertook the task of lifting and disposing of the accumulated garbage entirely from its own resources. A copy of Letter dated 16.11.2024 addressed to M/s Naturegreen Tools & Machines Pvt. Ltd. is annexed as **Annexure R-4**.



12. Subsequently, vide letter dated 11.12.2024, the Respondent No. 4 reiterated the request to transfer the said land, noting that preparations for deploying 200 sanitation workers and 40 vehicles for door-to-door garbage collection were in progress, and that complete details of user charges from the firm currently handling collection were required. Copy of Letter dated 11.12.2024 is annexed herewith as **Annexure R-5**.
13. Further, vide letter dated 28.04.2025, the Respondent No. 4 once again requested the immediate transfer of the said land, highlighting that previous requests had not been acted upon, causing difficulties in solid waste management, and emphasized that the matter pertains to OA No. 45/2025 pending before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, where compliance with the order dated 30.01.2025 is required. Copy of Letter dated 28.04.2025 is annexed herewith as **Annexure R-6**.
14. However, despite these repeated reminders, the required land has not been handed over till date, which has become the principal impediment in establishing a permanent system of solid waste management in Indirapuram.
15. I state that Respondent No. 4 has also prepared an action plan to bring the solid waste management of Indirapuram into full compliance with the Solid Waste Management Rules, 2016. The plan includes door-to-door collection of segregated waste, scientific processing of wet and dry waste, and future processing through a material recovery facility once the land is allotted by GDA. In the interim, GMC continues to carry out collection, transportation and cleaning activities using its own resources so that no hardship is caused to residents of the area. The action plan prepared by Respondent No. 4 is as follows:



S. No.	Activity	Arrangement by GDA	Arrangement by GMC
1.	Regular Cleaning of Roads	02 Mechanized Road Sweeping Machine; and 01 Litterpicker Machine	<u>Manual cleaning:</u> 200 sanitation workers have been deployed in the Indirapuram area for manual cleaning of roads, and 15 sanitation leaders and 1 sanitation inspector have been deployed for supervision. <u>Mechanized cleaning:</u> To keep the main roads clean and dust-free, mechanized road sweeping machines and high-pressure jetting machines/smog guns have been deployed, and a work order has been issued to the firm for the work to be carried out from May 1, 2025.
2.	Drain Cleaning	01 Poclain Machine	02 mini Poclain machines have been deployed for regular drain cleaning, and a work order has been issued for the supply of two additional mini Poclain machines. The process of opening financial bids for de-silting 13 large drains is underway.
3.	Primary Garbage Collection	09 Tata 407; 15 Tippers; 04 Tractor Trolleys; and 01 Auto Tipper	In the said area, work is being done through 55 (43 Tata Ace and 12 Tata 407) door-to-door garbage collection vehicles through third party vendors. Apart from this, 15 Tata Ace vehicles have also been deployed for sweeping waste collection and 09 tractor trolleys have also been deployed separately for lifting silt coming out of drains.
4.	Secondary Garbage Collection	06 HiVA; 01 Dumper' 01 JCB	For the secondary collection of approximately 150-175 metric tons of garbage generated from the said area daily, currently 15 big HiVa trucks, 02 tractor loaders, 01 CNG tipper have been deployed and the work is being done through third party vendor. Along with this, 02 Quick Force / QRT have also been deployed for emergency cleaning arrangements.
5.	Bulk Waste Generators	--	Ghaziabad Nagar is inviting EOI for disposal of waste generated by bulk waste generators




			installed in Indirapuram area, through which all bulk waste generators will be able to coordinate with one or more agencies and the waste generated by them will be disposed of in-house.
6.	Additional Procurement	--	GMC is also in process of procuring 100 RC bins (1100 seater), 02 truck mounted drain desilting machines, 03 backhoe loaders, 05 wheeled skid loaders, 05 tipper (16 tonnes) for Indirapuram area.

16. That the officials of the Uttar Pradesh Pollution Control Board took cognizance of the specific averments and photographic evidence filed by the Applicant, which *inter alia* depicted alleged dumping of Municipal Solid Waste at seventeen (17) different locations across Indirapuram, Ghaziabad.

17. Pursuant thereto, the Inspection Report dated 01.05.2025, filed on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance of the Order dated 30.01.2025, records detailed findings of the inspection with respect to each of the 17 identified locations. The said Report, *inter alia*, notes that:

- (i) minor instances of plastic waste were found at Location Nos. 6, 7, 10, 11 and 12;
- (ii) Construction and Demolition (C&D) waste was found dumped at Location No. 8; and
- (iii) Municipal Solid Waste along with stagnant waste water was observed at Location Nos. 14 and 16.

18. I state that the Locations No. 6, 7, 8, 11, 12, 14 and 16 have since been duly remediated by the Respondent No. 4. The photographs dated




08.09.2025 of Locations No. 6, 7, 8, 11, 12, 14 and 16 are annexed hereto and marked as Annexure R-7 (Colly).

19. It is apposite to state that the Applicant in the present matter, Mr. Gaurav Aggarwal, is a panel lawyer of the Ghaziabad Municipal Corporation which gives rise to a serious issue of conflict of interest. The Respondent No. 4 respectfully reserves its rights to place this fact before the appropriate authority, including the Bar Council, for necessary consideration.

20. In view of the foregoing, it is most respectfully submitted that the present application does not warrant any adverse action against the Ghaziabad Municipal Corporation. The Hon'ble Tribunal may be pleased to dismiss the application against Respondent No. 4.

21. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity based on and derived from the official records maintained by the Ghaziabad Nagar Nigam in the official capacity and I state that nothing material has been concealed therefrom.

M. K.
DEPONENT



VERIFICATION

I, the abovenamed deponent, do hereby solemnly verify that the contents of the aforesaid affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. 04 OCT 2025

Verified at Health Office, G.M.C. Ghaziabad on this 04 day of OCT of 2025.

Srri / Smt. / Km. M. K. Jha
S/o, W/o, D/o Health Office, G.M.C.
R/o Ghaziabad
Identified by Srri/Smt. Malak Bhat
has solemnly affirmed before me at Delhi
Sl. No. 23
the contents of the affidavit which
have been read over & explained to him/her
are true and correct to his/her knowledge

M. K.
DEPONENT

04 OCT 2025

I identify the deponent who has signed/Put T.I in my presence



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.O.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

पत्र संख्या:-


/4/ई0ई0 जोन-6/2024

दिनांक:-

कार्यवृत्त

दिनांक 09.05.2024 को अपरान्ह 3:00 बजे सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में इन्दिरापुरम योजना की अवस्थापना सुविधाओं यथा सडक, सीवर, पेयजल, नाले, पार्क आदि के नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में गठित समिति की प्राधिकरण सभागार में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्राधिकरण एवं नगर निगम, गाजियाबाद के निम्न अधिकारी/अभियन्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है:-

क्र०सं०	अधिकारी/अभियन्ता का नाम	पदनाम
1	श्री अविन्द्र कुमार	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम
2	श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह	प्रभारी मुख्य अभियन्ता, जी०डी०ए०
3	श्री एन०के० चौधरी	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम
4	श्री के०पी० आनन्द	जनरल मैनेजर, जलकल विभाग, नगर निगम
5	श्री आलोक रंजन	अधिकासी अभियन्ता जोन-6, जी०डी०ए०
6	श्री देशराज सिंह	अधिकासी अभियन्ता, नगर निगम
7	श्री वीरेन्द्र कुमार	अधिकासी अभियन्ता-विद्युत (टी०एच०ए०), जी०डी०ए०
8	श्री गणेशी लाल	सहायक अभियन्ता, नगर निगम
9	श्री अनूप कुमार शर्मा	सहायक अभियन्ता, नगर निगम
10	श्री मिथलेश	नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम
11	श्री शशि भारती	उद्यान अधिकारी, जी०डी०ए०
12	श्री अनुज सिंह	उद्यान अनुभाग, नगर निगम
13	श्री आश कुमार	विद्युत अनुभाग, नगर निगम
14	श्री पीयूष सिंह	सहायक अभियन्ता, जी०डी०ए०
15	श्री मनुज कुमार गुप्ता	सहायक अभियन्ता-तकनीकी, जी०डी०ए०
16	श्री अजय कुमार	उद्यान अनुभाग, नगर निगम
17	श्री संजय कुमार	सहायक अभियन्ता, जी०डी०ए०
18	श्री ओम सिंह	उद्यान अनुभाग, जी०डी०ए०




RKhat
9/5/24

594
8/10/24
10/5/24

ST

10.05.24



बैठक में शासनादेश सं० 2337/9-आ-2-2001 दिनांक 27.07.2001 में निहित प्राविधानों के अनुसार इन्दिरापुरम योजना की हस्तान्तरित की जाने वाली निम्न अवस्थापना सुविधाओं पर विचार-विमर्श किया गया है:-

1. सडक एवं ड्रेनेज:-प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में मुख्यतः 45 मी०, 36 मी० व 18 मी० जोनल सडकें तथा 12 मी०, 9मी०, 7.50 मी० आन्तरिक सडकें निर्मित है। वर्तमान में लगभग 12 कि०मी० लम्बाई में क्षतिग्रस्त मुख्य सडकों के सुदृढीकरण हेतु कार्य कराया जा रहा है तथा सी०आई०एस०एफ० रोड का पूर्ण सुदृढीकरण का कार्य कराया गया है, जिसपर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना में आन्तरिक सडके, सेन्ट्रल वर्ज आदि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है। योजना में ड्रेनेज तत्समय प्रचलित ब्रिक वर्क द्वारा निर्मित है। योजना के सडक, सेन्ट्रल वर्ज, फुटपाथ, ड्रेनेज के संयुक्त सर्वे हेतु नगर निगम के श्री अनुप कुमार शर्मा, श्री गणेशी लाल, सहा० अभि०, श्री संजय गंगवार एवं सुश्री पूजा सिंह, अवर अभि० तथा प्राधिकरण की ओर से श्री पीयूष सिंह, सहा० अभि०, श्री महेश श्रीवास्तव, श्री सचिन अग्रवाल, अवर अभि० को नामित किया गया है।
2. सीवर:-इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण योजना का सीवरज ट्रीटमेन्ट 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के माध्यम से किया जा रहा है, जिस पर नगर निगम के अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया है कि कई स्थानों पर मेनहोल चेम्बर्स क्षतिग्रस्त है एवं योजना में अतिरिक्त एस०पी०एस० तथा सीवर लाईन की सफाई की आवश्यकता है, जिस पर सम्पूर्ण योजना एवं कनावनी क्षेत्र में सीवर मेनहोल/चेम्बर्स के संयुक्त सर्वे हेतु श्री लवकेश सिंह, अधि० अभि०, श्री पीयूष सिंह, सहा० अभि० तथा नगर निगम की ओर से श्री ओम प्रकाश एवं श्री सोमेन्द्र तोमर, अवर अभि० को नामित किया गया है।
3. पेयजल:-योजना में प्राधिकरण द्वारा पेयजल की आपूर्ति नलकूप एवं गंगाजल के माध्यम से की जाती है, जिस पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना में अतिरिक्त नलकूपों को बनाया जाना अति आवश्यक है तथा 02 ओ०एच०टी० में रिपेयर एवं 07 नलकूपों को रिबोर कराया जाना है, जिसके संयुक्त सर्वे हेतु श्री लवकेश सिंह, अधि०अभि०, श्री पीयूष सिंह, सहा० अभि० तथा नगर निगम की ओर से श्री ओम प्रकाश एवं श्री सोमेन्द्र तोमर, अवर अभि० को नामित किया गया है।

9/5/24

4. सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट:- प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना में डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन का कार्य अनुबन्धित फर्म से कराया जा रहा है, जिस पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट हेतु ट्रान्सफर स्टेशन एवं एम0आर0एफ0 सेन्टर नहीं है। इस हेतु 2500 वर्ग मी0 के दो भूखण्ड 18 मी0 रोड पर एवं ट्रान्सफर स्टेशन के लिए 4000 वर्ग मी0 भूमि की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में श्री आलोक रंजन, अधि0 अभि0 को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
5. स्ट्रीट लाईट:- प्राधिकरण के अधि0 अभि0-टी0एच0ए0 द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना में मुख्य सड़कों पर 2472 प्रकाश बिन्दु है तथा आन्तरिक गलियों/सड़कों पर 3584 प्रकाश बिन्दु है, जो सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं, जिस पर नगर निगम के अधिकारी द्वारा लगभग सहमति व्यक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में पुनः एक सर्वे हेतु अधि0 अभि0-विद्युत (टी0एच0ए0) गा0वि0प्रा0 एवं नगर निगम के अभियन्ताओं को संयुक्त रूप से सर्वे हेतु निर्देशित किया गया है।
6. पार्क:- उद्यान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना में कुल 96 पार्क है, जिसमें कुछ पार्कों में मरम्मत आदि की आवश्यकता है। पार्कों के सर्वे हेतु प्राधिकरण के श्री महेन्द्र कुमार, अवर अभि0 एवं श्री ओम सिंह व श्री तरनी सिंह, उद्यान निरीक्षक को नगर निगम के उद्यान अनुभाग के साथ संयुक्त सर्वे हेतु निर्देशित किया गया है।

"उपरोक्त सभी अवस्थापना सुविधाओं के संयुक्त सर्वे/निरीक्षण हेतु गठित समिति दिनांक 15.05.2024 तक सर्वे पूर्ण कर दिनांक 17.05.2024 तक स्थलीय फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी सहित सर्वे रिपोर्ट तैयार कर आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।" इसके अतिरिक्त सड़क एवं ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ज़ोन सर्वे की मांग की गयी है एवं ग्राम कनावनी नगर निगम, गाजियाबाद की सीमा के अन्तर्गत न होने के कारण प्रश्नगत ग्राम को हस्तान्तरण लेने हेतु नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गई।

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन: 145 III / 4/ई.ई.जोन-6/2024
प्रतिलिपि-

दिनांक: 09/5/2024

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवगतार्थ।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद को सूचनार्थ।
3. श्री अविन्द्र कुमार, अवर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि सर्वे हेतु नामित सदस्यों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे।
4. गा0वि0प्रा0, गाजियाबाद के सर्वे हेतु नामित सदस्यों को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित समयावधि में सर्वे पूर्ण किये जाना सुनिश्चित करे।

OR
9/5/24
सचिव

ANNEXURE R-2

हस्तान्तरण कार्यवृत्त-इन्दिरापुरम योजना

दिनांक 24.08.2024 को उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद कार्यालय कक्ष में "इन्दिरापुरम योजना" की अवस्थापना सुविधाओं यथा सडक, सीवर, पेयजल, नाले, पार्क आदि को नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरण किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उपाध्यक्ष, गा0वि0प्रा0 व नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद एवं अन्य अधिकारी/अभियन्ताओं द्वारा हस्तान्तरण हेतु उद्धरत नीति अ0शा0प0-2337/9-आ-2001 दि0 27 जुलाई, 2001 व शासनादेश सं0 726 एच0/9-2-83 दि0 30 सितम्बर 1983 नगर विकास-2 के आलोक में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व नगर निगम के समस्त अधिकारियों द्वारा पूर्व में हुई बैठकों में तैयार किये गये विभागवार आगणन पर गम्भीर विचार-विमर्श किया गया और GAP Analysis करते हुए निम्नवत सहमति व्यक्त की गयी है:-

1. सडक:- इन्दिरापुरम योजना में मुख्य एवं आन्तरिक सडको की लम्बाई लगभग 80.00 कि0मी0 है, जिसके सापेक्ष में रु0 50.00 करोड़ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद को सुदृढीकरण कार्य हेतु दिया जा रहा है। (कुल धनांक रु0 50.00 करोड़)
2. सीवर:- इन्दिरापुरम योजना में सीवर लाईन की सफाई एवं नई सीवर लाईन बिछाने हेतु धनांक रु0 25.00 करोड़ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद को दिया जा रहा है। वर्तमान में सीवर के रख-रखाव हेतु नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के अन्तर्गत मैसर्स बवाग कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। इन्दिरापुरम क्षेत्र को वन सिटी वन ऑपरेटर योजना में शामिल किया जाने का कार्य शासन द्वारा किया जाना है। उक्त योजना में इन्दिरापुरम क्षेत्र को शामिल किये जाने तक सीवर व पाइप लाईन का अनुरक्षण व संचालन की व्यवस्था यथावत रहेगी जिसका वहन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा जिस हेतु अधिकतम अवधि 06 माह होगी। (कुल धनांक रु0 25.00 करोड़)
3. पेयजल:- इन्दिरापुरम योजना में पेयजल के कार्य हेतु धनांक रु0 20.00 करोड़ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद को दिया जा रहा है, जिसमें नये ट्यूबवेल, नई पाईप लाईन एवं ट्यूबवेल व ओ0एच0टी0 मरम्मत हेतु दिया जा रहा है। (कुल धनांक रु0 20.00 करोड़)
4. सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट:- इन्दिरापुरम योजना में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट) हेतु कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन के लिए 4000 वर्ग मीटर एवं एम0आर0एफ0 हेतु 4500 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरण के 06 माह के अन्दर भूमि उपलब्ध कराने की सहमति व्यक्त की गयी साथ ही नगर निगम द्वारा कूड़ा कलेक्शन/ट्रांसफर स्टेशन की व्यवस्था अपने स्तर से किये जाने तक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी जिसका वहन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा जिस हेतु अधिकतम अवधि 06 माह होगी तथा सोलिड वेस्ट प्रबन्धन हेतु रु0 15.00 करोड़ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद नगर निगम को दिया जा रहा है। (कुल धनांक रु0 15.00 करोड़)

bm


X


5. नाला/नाली:- इन्दिरापुरम योजना में लगभग 135.00 कि०मी० ब्रिक वर्क एवं आर०सी०सी० से नालें निर्मित हैं, जिसके सापेक्ष में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद को धनाक रू० 50.31 करोड नालों की मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु दिया जा रहा है। योजना में आवश्यकतानुसार ब्रिक वर्क नालों के स्थान पर आर०सी०सी० नालों के निर्माण तथा ब्रिक वर्क के नालों की मरम्मत/निर्माण हेतु दिया जा रहा है। (कुल धनाक रू० 50.31 करोड)
6. स्ट्रीट लाईट:-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम गाजियाबाद को स्ट्रीट लाईटों को बदलने एवं ठीक कराने हेतु धनाक रू० 13.69 करोड दिया जा रहा है। (कुल धनाक रू० 13.69 करोड)
7. पार्क :-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम गाजियाबाद को उद्यानिक कार्यों हेतु धनाक रू० 11.00 करोड दिया जा रहा है। नीति खण्ड-2 में स्थित साईट ऑफिस के 02 कमरे तथा उद्यान नर्सरी में मात्र साईट ऑफिस पूर्व की भांति अधिकतम 06 माह तक प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जाएगा। इस अवधि के उपरान्त सम्पूर्ण क्षेत्र पर नगर निगम का स्वामित्व होगा। (कुल धनाक रू० 11.00 करोड)
8. अन्य कार्य:-
 1. इन्दिरापुरम क्षेत्र में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित सभी सामुदायिक केन्द्र व उनसे आने वाली आय पर गाजियाबाद नगर निगम प्रबन्धन होगा।
 2. इन्दिरापुरम क्षेत्र के सभी विज्ञापन अधिकार गाजियाबाद नगर निगम को हस्तान्तरित हो जायेंगे।
 3. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नीति खण्ड-2 में स्थित साईट ऑफिस नगर निगम को जोनल कार्यालय हेतु उपलब्ध करायेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नीति खण्ड-2 के साईट ऑफिस के 02 कमरे तथा नर्सरी के साईट ऑफिस पूर्व की भांति प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जायेगा। अन्य क्षेत्र पर नगर निगम का स्वामित्व होगा।
 4. यदि हस्तान्तरण के पश्चात नई व्यवस्था के कारण कोई किसी फर्म अथवा ठेकेदार द्वारा हस्तान्तरण से सम्बन्धित वाद दायर किया जाता है तो नगर निगम द्वारा प्रभावी पैरवी किये जाने का व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।
 5. इन्दिरापुरम क्षेत्र के हस्तान्तरण के कारण नगर निगम का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा जिसके लिए शासन से अतिरिक्त स्टाफ मिलने तक अथवा 03 माह तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वर्तमान स्टाफ कार्यहित में सहयोग प्रदान करेगा।
 6. इन्दिरापुरम क्षेत्र हस्तगत होने के 01 माह के अन्दर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नगर निगम को सम्पूर्ण इन्दिरापुरम क्षेत्र के ड्रोन द्वारा की गयी वीडियो ग्राफी व फोटोग्राफी उपलब्ध करायेगा।
 7. इन्दिरापुरम क्षेत्र हस्तगत होने की तिथि से भवन-कर, जल-कर व सीवर-कर लेने का अधिकार सरकारी बॉडिज सहित गाजियाबाद नगर निगम में निहित होगा।
 8. इन्दिरापुरम क्षेत्र की सभी नर्सियां हस्तगत की तिथि से गाजियाबाद नगर निगम को हस्तगत हो जायेंगी।


9. नगर निगम गाजियाबाद को हस्तान्तरण के फलस्वरूप प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली धनराशि अंकन 185.00 करोड़ इन्दिरापुरम क्षेत्र के विकास में ही प्रयोग की जायेगी। उक्त धनराशि का प्रयोग नगर निगम किसी अन्य योजना में नहीं करेगा तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उक्त धनराशि का समायोजन अन्य किसी विकास योजना व कार्य एवं देयकों से नहीं करेगा।
10. इन्दिरापुरम क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सोसायटी द्वारा जो देयक एवं अनुरक्षण शुल्क बकाया है हस्तान्तरण के बाद उन देयक व अनुरक्षण शुल्क को वसूलने का अधिकार गाजियाबाद नगर निगम का होगा।
11. गाजियाबाद नगर निगम हस्तान्तरण की धनराशि की प्राप्ति हेतु एक डेडीकेटेड एकाउन्ट खोलेगा जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक मुश्त अंकन 70.00 करोड़ हस्तान्तरण के समय देगा तथा शेष धनराशि निम्नवत समयावधि तक गाजियाबाद नगर निगम को देगा:-

क्र०	धनराशि (करोड़ में)	समयावधि
1	40.00	31 दिसम्बर 2024 तक
2	40.00	31 मार्च 2025 तक
3	35.00	1 जुलाई 2025 तक


एक मुश्त अंकन 70.00 करोड़ प्राप्त होने के दिवस से ही हस्तान्तरण की प्रक्रिया मानी जायेगी।
 12. गाजियाबाद नगर निगम को यह प्रस्ताव काबू में लेने के लिये प्रस्ताव दिया जायेगा।
 अतः उपरोक्तानुसार इन्दिरापुरम योजना व उसके विकास क्षेत्र की समस्त अवस्थापना सुविधाओं के हस्तान्तरण हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद को धनांक रू० 185.00 करोड़ हस्तांतरित किया जायेगा। नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मा० मण्डलायुक्त, महोदया की अध्यक्षता में बैठक हेतु तिथि, समय व स्थान निर्धारण हेतु अनुमति प्राप्त की जायेगी।



 अवर अभियन्ता (सिविल),
 गा०वि०प्रा०



 सहायक अभियन्ता (सिविल),
 गा०वि०प्रा०



 अधिशासी अभियन्ता (सिविल),
 गा०वि०प्रा०


गाजियाबाद विकास प्राधिकरण


 अवर अभियन्ता (विद्युत),
 गा०वि०प्रा०



 सहायक अभियन्ता (विद्युत),
 गा०वि०प्रा०


 अधिशासी अभियन्ता (विद्युत),
 गा०वि०प्रा०



 उद्यान निरीक्षक,
 गा०वि०प्रा०


 सहायक प्रभारी उद्यान,
 गा०वि०प्रा०


 प्रभारी उद्यान,
 गा०वि०प्रा०



प्रभारी मुख्य अभियन्ता,
गा0वि0प्रा0



सचिव,
गा0वि0प्रा0




अवर अभियन्ता (सिविल),
गा0न0नि0

गाजियाबाद नगर निगम



अवर अभियन्ता (विद्युत),
गा0न0नि0



उद्यान पर्यवेक्षक,
गा0न0नि0




सहायक अभियन्ता (सिविल),
गा0न0नि0



सहायक अभियन्ता (विद्युत),
गा0न0नि0



अधिशासी अभियन्ता (जल)
गा0न0नि0




अधिशासी अभियन्ता (सिविल),
गा0न0नि0




अधिशासी अभियन्ता (उद्यान)
गा0न0नि0



प्रभारी उद्यान,
गा0न0नि0




नगर स्वास्थ्य अधिकारी
गा0न0नि0




महाप्रबन्धक (जल),
गा0न0नि0




मुख्य अभियन्ता,
गा0न0नि0




अपर नगर आयुक्त (प्रथम)
गा0न0नि0



अपर नगर आयुक्त (द्वितीय)
गा0न0नि0



नगर आयुक्त,
गा0न0नि0



उपाध्यक्षी,
गा0वि0प्रा0

प्रतिलिपि:—आयुक्त महोदया, मेरठ मण्डल, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।

अवलोकन

3/9/24



कार्यालय: नगर आयुक्त, गाज़ियाबाद नगर निगम, गाज़ियाबाद।

Office of the Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal Corporation

दूरभाष:- 0120-2790425, 2713580

ई-मेल:- gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांक:- 303/न0आ0/2024-25

दिनांक :- 26/09/2024

प्रेषक,

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषय:- इन्द्रापुरम योजना के हस्तान्तरण कार्यवृत्त के अनुसार भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित इन्द्रापुरम योजना के सम्बन्ध में दिनांक 24.08.2024 को उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद कार्यालय कक्ष में "इन्दिरापुरम योजना" की अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सीवर, पेयजल, नाले, पार्क आदि को नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरण किये जाने हेतु आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद व नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद एवं अन्य अधिकारी/अभियन्ताओं द्वारा हस्तान्तरण हेतु उद्धरत नीति अ0शा0प0-2337/9-आ-2001 दिनांक 27 जुलाई, 2001 एवं शासनादेश सं0 726 एच0/9-2-83 दिनांक 30 सितम्बर 1983 नगर विकास-2 के आलोक में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के समस्त अधिकारियों द्वारा पूर्व में हुई बैठको में तैयार किये गये विभागवार आगणन पर गम्भीर विचार-विमर्श किये जाने के उपरान्त सहमति व्यक्त की गयी है। जिसका अनुमोदन आयुक्त महोदय, मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा दिनांक 06.09.2024 को किया जा चुका है। उक्त कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-4 पर वर्णित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट:-इन्दिरापुरम योजना में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट) हेतु कूड़ा ट्रान्सफर स्टेशन के लिये 4000 वर्ग मीटर एवं एम0आर0एफ0 हेतु 4500 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम गाजियाबाद को भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इन्दिरापुरम योजना हस्तगत होने उपरान्त उस क्षेत्र के आवासीय/व्यवसायिक आदि क्षेत्रों से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट के सुचारु, सफल एवं गुणवत्तापूर्वक प्रबन्धन/ निस्तारण हेतु ट्रान्सफर स्टेशन के लिये 4000 वर्ग मीटर एवं एम0आर0एफ0 हेतु 4500 वर्गमीटर भूमि नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(Handwritten Signature)

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)

I.A.S.

नगर आयुक्त



कार्यालय: अपर नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

पत्रांक: 3050 /अ0न0आ0/2024-25

दिनांक: 16/11/24

मैसर्स नेचरग्रीन टूल्स एण्ड मशीन्स प्रा0लि0
खसरा नं0-963, 965, अपोजिट अमृत वर्षा फैक्टरी
धूम मानिकपुर, दादरी, गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा-203207।

आपके द्वारा इन्दिरापुरम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था आदि का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। दिनांक 11.11.2024 को मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक/क्षेत्रीय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा इन्दिरापुरम क्षेत्र के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर कूड़े के ढेर एवं गन्दगी पायी गयी। जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	स्थल का नाम	कूड़े की मात्रा (लगभग)
1	सै0-1 हिण्डन बैराज रोड इन्दिरापुरम	45 गाडी
2	सै0-9 कनावनी सर्विस रोड इन्दिरापुरम	45 गाडी
3	कनावनी रोड, अंहिसा खण्ड-2 इन्दिरापुरम	70 गाडी
4	शक्ति खण्ड-4 इन्दिरापुरम	300 गाडी
5	शमशान घाट के पास शक्ति खण्ड-4 (मुख्य ढलाव घर) इन्दिरापुरम	900 गाडी
6	सर्विस रोड नियर शिप्रा मॉल वैभव खण्ड-2 इन्दिरापुरम	35 गाडी
7	सर्विस रोड अभय खण्ड-2 इन्दिरापुरम	25 गाडी
8	पुस्ता रोड अंहिसा खण्ड-2 इन्दिरापुरम	20 गाडी
कुल योग		1440 गाडी

आपकी कार्यप्रणाली से ऐसा सिद्ध होता है कि आपके द्वारा नियमित रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है और अनुबन्ध की सेवा-शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे आपकी लचर कार्यशैली के कारण लगातार शिकायते प्राप्त हो रहीं हैं साथ ही समाचार-पत्रों के माध्यम से क्षेत्र में डेंगू जैसे संक्रामक रोग फैलने/कूड़ा जलने आदि से सम्बन्धित खबरे लगातार प्रकाशित हो रहीं हैं, जिससे कि नगर निगम की छवि धूमिल हो रहीं हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद कार्यालय से प्रतिदिन के आधार पर इन्दिरापुरम क्षेत्र में डेंगू रोग से संक्रमित मरीजों में बढ़ोत्तरी की सूचनाएँ भी प्राप्त हो रहीं हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त के कम में अपना स्पष्टीकरण 02 दिवस में उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें कि क्यों न आपके अनुबन्ध को समाप्त करते हुये आपकी फर्म के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

प्रतिलिपि-

- उपाध्यक्ष महोदय, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव महोदय, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।
- मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक/सम्बन्धित क्षेत्रीय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक को इस निर्देश के साथ कि क्षेत्र में सघन पर्यवेक्षण कर प्रतिदिन अपनी आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

जन सभ्यक कार्यालय
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
जन प्रशासनिक विभाग

18/11/2024

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम



कार्यालय: अपर नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE ADDITIONAL MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाष: 0120-2790425, 2713580

ई-मेल: gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांक: 995 /अ0न0आ0/2024-25

दिनांक: 11/12/24

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,

सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद।

विषय:- इन्द्रापुरम योजना के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, गाजियाबाद कार्यालय के पत्रांक:677/4/ई0ई0जोन-6/2024 दिनांक 09.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा इन्द्रापुरम योजना में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एवं कूड़ा निस्तारण का कार्य कराये जाने की स्वीकृति दिनांक 07.01.2025 तक से अवगत कराते हुये दिनांक 07.01.2025 के उपरान्त इन्द्रापुरम योजना में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एवं कूड़ा निस्तारण का कार्य नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कराये जाने हेतु उल्लेख किया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा इन्द्रापुरम योजना हस्तान्तरण के उपरान्त इन्द्रापुरम क्षेत्र में 200 सफाई श्रमिक एवं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु 40 डोर टू डोर वाहन तैनात कर रूट चार्ट बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। वर्तमान में इन्द्रापुरम में कार्य कर रही फर्म द्वारा यूजर चार्ज कलेक्शन का कार्य सम्पादित कर रहीं है। उक्त फर्म से भी यूजर चार्ज की सम्पूर्ण विस्तृत विवरण एवं डेटा की नगर निगम को आवश्यकता है।

उपरोक्तानुसार इन्द्रापुरम हस्तान्तरण योजना के कार्यवृत्त के अनुसार भूमि आवंटन के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-4 पर वर्णित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट-इन्द्रापुरम योजना में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट) हेतु कूड़ा ट्रान्सफर स्टेशन के लिये 4000 वर्ग मीटर एवं एम0आर0एफ0 हेतु 4500 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता हेतु नगर निगम गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक:387/न0आ0/2024-25 दिनांक 26.09.2024 के द्वारा अनुरोध किया गया था। प्राधिकरण द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अभी तक कृत-कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है। जिस कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निस्तारण हेतु कठनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इन्द्रापुरम योजना हस्तगत होने उपरान्त क्षेत्र के आवासीय/व्यवसायिक आदि क्षेत्रों से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट के सुचारु, सफल एवं गुणवत्तापूर्वक प्रबन्धन/निस्तारण हेतु ट्रान्सफर स्टेशन निर्माण के लिये 4000 वर्ग मीटर भूमि एवं एम0आर0एफ0 निर्माण हेतु 4500 वर्गमीटर भूमि तथा उक्त फर्म से यूजर चार्ज का सम्पूर्ण विस्तृत विवरण एवं डेटा गाजियाबाद नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

प्रतिलिपि-

नगर आयुक्त महोदय, गाजियाबाद नगर निगम को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपाध्यक्ष महोदय, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

ANNEXURE R-6

अनुस्मारक-द्वितीय



कार्यालय: अपर नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE ADDITIONAL MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाष: 0120-2790425, 2713580

ई-मेल: gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांक: 1644 /अ0न0आ0/2024-25

दिनांक: 28-04-2025

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,

सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद।विषय:- इन्द्रापुरम योजना के हस्तान्तरण कार्यवृत्त के अनुसार भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर आयुक्त महोदय के कार्यालय से निर्गत पत्रांक:387/न0 आ0/2024-25 दिनांक 26.09.2024 एवं पत्रांक:995/अ0न0आ0/2024-25 दिनांक 11.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपके कार्यालय के पत्र संख्या-500/2/2024 दिनांक 09.09.2024 के साथ संलग्न दिनांक 24.08.2024 इन्द्रापुरम हस्तान्तरण योजना के कार्यवृत्त के अनुसार भूमि आवंटन के बिन्दु संख्या-4 पर वर्णित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट-इन्द्रापुरम योजना में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट) हेतु कूड़ा ट्रान्सफर स्टेशन के लिये 4000 वर्ग मीटर एवं एम0आर0एफ0 हेतु 4500 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता हेतु नगर निगम गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक:387/न0आ0/2024-25 दिनांक 26.09.2024 के द्वारा अनुरोध किया गया था। प्राधिकरण द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अभी तक कृत-कार्यवाही करते हुये भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिस कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निस्तारण हेतु कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

यहां यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि उक्त योजना से सम्बन्धित वाद ओ0ए0 संख्या-45/2025 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित है। जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक पारित आदेश दिनांक 30.01.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि इन्द्रापुरम योजना हस्तगत होने उपरान्त क्षेत्र के आवासीय/व्यवसायिक आदि क्षेत्रों से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट के सुचारु, सफल एवं गुणवत्तापूर्वक प्रबन्धन, निस्तारण हेतु ट्रान्सफर स्टेशन निर्माण के लिये 4000 वर्ग मीटर भूमि एवं एम0आर0एफ0 निर्माण हेतु 4500 वर्गमीटर भूमि गाजियाबाद नगर निगम को शीघ्र हस्तान्तरित किये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। ताकि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करते हुये मा0 एन0जी0टी0 को कृत-कार्यवाही से अवगत कराया जा सके।

प्रतिलिपि-

1. उपर्युक्त महोदय, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय, गाजियाबाद नगर निगम को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।
4. लिपिक, एस0बी0एम0 को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम


अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

(vi) Vijay Laxmi Pandit Marg, 330



- During visit, small quantity of plastic waste was dumped at the identified place.

Before



After

(vii) Vijay Laxmi Pandit Marg:-



- During visit, small quantity of MSW/plastic waste was found dumped at identified place.

Before



After (नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है)

(xiv) On Subhdra Joshi Marg:-³³³



- During visit, MSW was found dumped at the identified place.
- During visit, stagnation of waste water was found observed.

Before



After

(xvi) On divider at Vijay Laxmi 334 lit marg:-



- During visit, some quantity of MSW as well as plastic waste was found dumped at the identified place.

Before



After

(viii) Subhadra Joshi Marg:-

- During visit, Construction and Demolition waste (C & D waste) was found dumped at the identified place.

Before



After